



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265311
CG-DL-E-08082025-265311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3550]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947

No. 3550]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 3642(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2407 (अ), दिनांक 27 मई 2022 द्वारा तमिलनाडु राज्य में नए एनएच-332 के विल्लुपुरम - पुडुचेरी - कुड्डालोर - चिदंबरम - कराईकुल (पुडुचेरी) - नागापट्टिनम के निकट एनएच-38 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होने वाले किमी 0.000 से किमी 179.555 (डिजाइन चेनेज) तक के खंड और नए एनएच-32 (पुराने एनएच-45 ए) के भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए (नया एनएच 32) के डिजाइन किलोमीटर 29.000 से किलोमीटर 67.000 (कि.मी. 25.624 से कि.मी. 77.000 तक विद्यमान चेनेज) तक पुडुचेरी से पूडियानकुप्पम खंड के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 4.42 कि.मी. (सारणी 2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 9.18 कि.मी. (0.918 किलोमीटर की लंबाई वाली) (सारणी 4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु या उससे अधिक की लागत वाले 32.662 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त खंड पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण का कार्यभार संभालने पर उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात्;

सारणी 2		
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पुडुचेरी जिले में सेलियामेडु गांव के पास एनएच-45ए (नया एनएच-32) के किमी 41+500 पर	4.42 कि. मी. [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3					
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)
पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पुडुचेरी जिले में सेलियामेडु गांव के पास एनएच-45ए (नया एनएच-32) के किमी 41+500 पर	पुडुचेरी और कुड्डालोर संयुक्त बाईपास	डिजाइन किमी 29+420	डिजाइन किमी 63+000	32.662 (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	1097.00
	कुल लंबाई (4 लेन)			32.662	1097.00

चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पुडुचेरी जिले में सेलियामेडु गांव के पास एनएच-45ए (नया एनएच-32) के किमी 41+500 पर	0.918 [^]	9.18	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	38+441	38+559	बड़ा पुल	0.118
2	47+341	47+601	बड़ा पुल	0.260
3	50+068	50+129	आरओबी	0.061
4	50+350	50+595	बड़ा पुल	0.245
5	60+640	60+746	आरओबी	0.106
6	60+985	61+052	फ्लाईओवर	0.067
7	62+224	62+285	आरओबी	0.061
कुल				0.918

4. वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.000/-रुपए (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अध्वधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1791.25 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी/18/2025-पीआईयू पुडुचेरी/ई-252859]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2025

S.O. 3642 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2407 (E) dated the 27th May 2022, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.000 to km. 179.555 (Design Chainage) starting from its junction with NH-38 near Villuparum – Puducherry – Cuddalore -Chidambaram - Karaikul (Puducherry) - Nagapatinam of New NH-332 and part of New NH-32 (Old NH-45A) in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column(2) of the Table 1 for net road section length of 4.42 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 9.18 Km (having length of 0.918 km) (Table-4) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 32.662 km (Table-3) costing rupees ten crore above on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four lane of Puducherry to Poondiyankuppam section from design kilometer 29.000 to kilometer 67.000 (Existing Chainage from km.25.624 to km. 77.000) of National Highway number 45A (New NH 32) in the State of Tamil Nadu & Puducherry UT and authorise the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table -1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) of Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely.

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 41+500 of NH-45A (New NH-32) Seliyamedu village in Puducherry district of Puducherry UT.	4.42 Km (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane, of the base rate mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

Table- 3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of The Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km 41+500 of NH-45A (New NH-32) Seliyamedu village in Puducherry district of Puducherry UT.	Puducherry & Cuddalore Combined Bypass	Design Km.29+420	Design Km.63+000	32.662 (excl. structure >60m)	1097.00	150% for four or more lane, of the base rate mentioned in Table-1 above
	Total (4 Lane)			32.662	1097.00	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table- 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 41+500 of NH-45A (New NH-32) Seliyamedu village in Puducherry district of Puducherry UT.	0.918^	9.18	100% for four and or more more lane, of the base rate mentioned in Table-1above

^The details are as under: -

Sl. No.	Chainage (Km)		Type of Structure (4 Lane)	Length (in km)
	From	To		
1	38+441	38+559	Major Bridge	0.118
2	47+341	47+601	Major Bridge	0.260
3	50+068	50+129	ROB	0.061
4	50+350	50+595	Major Bridge	0.245
5	60+640	60+746	ROB	0.106
6	60+985	61+052	Flyover	0.067
7	62+224	62+285	ROB	0.061
TOTAL				0.918

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.350/- (Rupees Three Hundred and fifty Only) for the year 2025-26, and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journey	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule1A of rule10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, and category of exempted vehicles, service road, alternative road, and etc. Shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1791.25 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. COVID/18/2025-PIU Pducherry/E-252859]

VINAY KUMAR, Additional Secy.